42

COURT FEE — भारत INDIA — दस TEN — दो रुपये TWO RUPEES — एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /09

रिव्यू 175 - II/09

1. माला पिता स्वर्गीय श्री शम्भर,
2. धनपत पिता स्वर्गीय श्री शम्भर
3. हरदत्त पिता स्वर्गीय श्री शम्भर,
4. गंगा पिता स्वर्गीय श्री शम्भर,
5. लक्ष्मण पिता स्वर्गीय श्री शम्भर,

समस्त निवासी ग्राम सुअरहा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

...... आवेदकगण

11/2/09

विरूद्ध

1. रामखिलावन पिता स्वर्गीय शंकर,
2. रामावतार पिता स्वर्गीय शंकर,

निवासी ग्राम सुअरहा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 130–I/08 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेथ भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, ग्राम सुअरहा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा में स्थित भूमि अराजी क्रमांक 347/1क, 347/1ख एवं 348/2 में 1/2 हिस्सा के भूमिस्वामी आवेदकगण एवं 1/2 हिस्सा के भूमिस्वामी अनावेदकगण हैं। पूर्व में इसी भूमि के नक्था तरमीन के आदेथ राजस्व निरीक्षण द्वारा दिनांक 24.10.2003 को दिये गये थे। इस आदेथ के विरूद्ध प्रकरण आयुक्त रीवा सभांग, रीवा के न्यायालय तक चला था जहां आयुक्त द्वारा अपने आदेथ दिनांक 01.08.2005 द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था।

11-2-09 K.K. DWIVEDI

(2) यहकि, तहसील द्वारा दिनांक 15.11.2006 द्वारा नक्था तरमीन के आदेथ दिये गये जिसके विरूद्ध अनावेदगण द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेथ के विरूद्ध आवेदकों द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई, जो आदेथ दिनांक 07.01.2008 द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 175–दो/09 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
20.7.16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 130–एक/2008 में पारित आदेश दिनांक 12.9.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 175–दो/09 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 130–एक/2008 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 12.9.2008 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 175–दो/09 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य